राजस्व लोक अदालत केम्प दूदवा तहसील पचपदरा

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ राम आर.ए.एस

मुकदमा न0 07/2018

अपीलांण्टगण	बनाम	रेस्पोडेन्ट
1.रामाराम पुत्र केहराराम, ग्राम दूदूवा डेर		1. सरपंच ग्राम पंचायत दूदवा 2. जरिये भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा

अपील अंतर्गत धारा 75 रा.भू.राजस्व अधिनियम विरूद्व

आदेश दिनांकः–03.05.2018

यह अपील अपीलान्ट के द्वारा अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत राजस्व लोक अदालत ग्राम दूधवा डेर के नामान्तरकरण सख्या 406 व ग्राम दूधवा डेरा के ग्राम पंचायत दूधवा द्वारा पारित आदेश के विरूद्व न्याय आपके द्वार ग्राम पंचायत दूदवा में प्रस्तुत की गई है।

सक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम दूधवा डेर के ख0न0 106 रकबा 95.01 बीघा मे अपीलाण्ट का नाम के पिता फौत होने पर दर्ज वारिसान में अपीलाण्ट का नाम गेनाराम पुत्र केहराराम सहखातेदारी में दर्ज है। ग्राम दूधवा डेर के नामान्तरकरण संख्या 406 दर्ज करते समय गेनाराम पुत्र केहराराम दर्ज हुआ जो वर्तमान जमाबंदी में भी दर्ज है, जो अशुद्व व गलत है। जबकि वास्तविक एव सही नाम रामाराम पुत्र केहराराम है। उक्त अपील पत्र के संबंध मे पटवारी/आरआई/ तहसीलदार की संयुक्त रिपोर्ट प्राप्त की गई उक्त रिपोर्ट अनुसार अपीलाण्ट का नाम रामाराम सही नाम दर्ज करने की सिफारिश की है।

अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज व पटवारी/आरआई/ दूदवा, उप तहसीलदार जसोल की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार प्रसतुत दस्तावेज, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, राशनकार्ड, शपथपत्र तथा सरपंच ग्राम पंचायत दूदवा की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी का राजस्व रेकर्ड मे नाम गेनाराम पुत्र केहराराम दर्ज है जबकि सही नाम रामाराम पुत्र केहराराम है। अपीलान्टगण को सुना गया। मजमे आम मे उपस्थित लोगो से पूछताछ की गई। इसके आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार कर मौजा दूदवा देर क ख0न0 105 रकबा 95.01 बीघा में गेनाराम पुत्र केहराराम के स्थान रामाराम पुत्र केहराराम दर्ज करने के आदेश दिये जाते है।

आदेश राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार दूदवा में सुनाया गया ।
पत्रावली फैसल सुमार होकर के दाखिल दफतर हो ।

Scanned by CamScanner